

प्ररूप सं. 64ख

[नियम 12गक (2)(i) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पक के अधीन कारबार न्यास द्वारा यूनिट धारक को दी जाने वाली आय का विवरण

1. यूनिट धारक का नाम	
2. यूनिट धारक का पता	
3. यूनिट धारक का ¹ क[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	
4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष	
5. कारबार न्यास का नाम और पता	
6. कारबार न्यास का ¹ क[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	

²[7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिटधारक को कारबार न्यास द्वारा वितरित आय के निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे:-

क्रम सं.	वितरित आय	वितरण की तारीख	धारा 10(23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम	धारा 10(23चगक) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए के रूप में आय की रकम	धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभार्श के रूप में आय की रकम	अन्य आय की रकम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

में (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूँ एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर और उपबंध (उपबंधों) में जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी है, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ/करती हूँकि मैं यह विवरण (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीख को सत्यापित किया गया ।

स्थान

हस्ताक्षर

1. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2015 द्वारा 19.1.2015 से अंतःस्थापित ।

1क आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. आय-कर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2016 से प्रतिस्थापित ।